इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 11 अंक : 12 अगस्त, 2018 पृष्ठों की संख्या 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 4
बीमा ---------- ----------5
नयी नियुक्तियाँ----------6
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------6
विदेशी मुद्रा **----------6**
शब्दावली ----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------8
संस्थान समाचार ----------9
नयी पहलकदमी ---------- 13
बाजार की खबरें ----------14

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक नील-लोहित रंग वाला सौ रुपए का नोट जारी करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही एक नया सौ रुपए का नोट जारी करेगा। नील-लोहित (लैवेंडर) रंग वाले नोटों में 'रानी की वाव' - जटिल रूप से निर्मित एक सीढ़ीदार कुएं (स्टेप-वेल), जो संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का एक वैश्विक विरासत स्थल भी है- वाले प्रमुख तत्व का समावेश होगा। दृष्टिहीन लोगों के लिए इन नए नोटों मेँ महात्मा गांधी की प्रतिमा की उत्कीर्णित आकृति, अशोक स्तम्भ वाले प्रतीक, सूक्ष्म अंक 100 तथा दायीं और बायीं तरफ चार कोणीय रक्ताभ पंक्तियों के साथ उभरे त्रिकोणीय पहचान चिन्ह का समावेश होगा।

आईबीबीआई ने संशोधित दिवाला विनियम जारी किए

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) ने अन्य मुख्य परिवर्तनों के साथ गृह ख़रीदारों के लिए वित्तीय लेनदारों के रूप मेँ राहत प्राप्त करने तथा दिवाला लागू किए जाने से संबन्धित विनियमों की सशर्त वापसी की अनुमति का मार्ग प्रशस्त करते हुए कारपोरेट दिवाला निवारण प्रक्रिया (CIRP) के बारे मेँ संशोधित मानदंड जारी किए हैं। इस नयी व्यवस्था मेँ यह प्रावधान है कि उस श्रेणी मेँ कम से कम दस लेनदारों वाले लेनदारों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अन्तरिम निवारण व्यावसायिक को प्रत्येक श्रेणी मेँ

लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु सार्वजनिक घोषणा में तीन दिवाला व्यावसायिकों का विकल्प प्रदान करना होगा।

आईबीबीआई द्वारा निवारण व्यावसायिकों की स्वतन्त्रता पर ज़ोर

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं/कंपनियों (IPEs) को बाजार सहभागी के किसी भी पैनल में शामिल होने से विरत रहने का निदेश दिया है। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने इस बात पर बल दिया है कि कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था/कंपनी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सेवा नहीं प्रदान कर सकती। वे केवल उन दिवाला व्यावसायिकों जो उसके भागीदार या निदेशक हों, को केवल सहायक सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं।

ऐंजल निधियों के लिए निवेश, महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रकटन करना आवश्यक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने फरिश्ता (Angel) निधियों के लिए निवेश, जोखिम पूंजी उपक्रमों तथा महत्वपूर्ण परिवर्तनों से संबन्धित विवरणों को किसी योजना की शुरुआत किए जाने के दस दिनों के भीतर प्रकट किया जाना अनिवार्य कर दिया है। शर्त पत्र में तीन श्रेणियाँ शामिल हैं यथा- निवेश और निवेश प्रापक कंपनी; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वैकल्पिक निवेश निधियों से संबन्धित विनियमों के अनुपालन; तथा 'महत्वपूर्ण परिवर्तनों' से संबन्धित सूचना।

वैकल्पिक निवेश निधियों, जोखिम पूंजी निधियों के विदेशी निवेश की सीमा बढाई गई

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने वैकल्पिक निवेश निधियों (AIFs) और जोखिम पूंजी निधियों (VCFs) की विदेशी निवेश सीमा को वर्तमान 500 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 750 मिलियन अमरीकी डालर कर दी है। वैकल्पिक निवेश निधियों और जोखिम पूंजी निधियों को इस प्रकार की सीमाओं के उपयोग के संबंध में उक्त

उपयोग के पांच कार्य-दिवसों के भीतर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मध्यवर्ती पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रकट करना होगा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की गौण बाजार में मंदड़िया बिक्री से संबन्धित मानदंड संशोधित किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) की गौण बाजार में मंदड़िया बिक्री से संबन्धित मानदंड संशोधित कर दिया है। मंदड़िया बिक्री की शुरुआत फरवरी, 2006 में सहभागियों को ब्याज दरों के संबंध में दुतरफा विचार व्यक्त करने तथा उसके द्वारा मूल्य अन्वेषण बढ़ाने का एक साधन उपलब्ध कराने हेतु की गई थी।

संशोधित मानदंडों के अनुसार किसी भी ऐसी विनियमित संस्था/कंपनी जिसके पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण सहित विनियामकों का अनुमोदन मौजूद हो, को मंदड़िया बिक्री प्रारम्भ करने की पात्र संस्था/कंपनी माना जाएगा। मंदड़िया बिक्री की जा सकने वाली किसी प्रतिभूति की अधिकतम रकम इस प्रकार हैं : अनिरुद्ध (liquid) प्रतिभूतियाँ - प्रत्येक प्रतिभूति के कुल बकाया स्टाक का 2%, अथवा 500 करोड़ रुपए, (इनमें से जो भी अधिक हो) तथा अन्य प्रतिभूतियाँ - प्रत्येक प्रतिभूति के कुल बकाया स्टाक का 1% या 250 करोड़ रुपए (इनमें से जो भी अधिक हो)।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उनके एटीएमों का कोटि-उन्नयन करने हेतु कहा

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उनके एटीएमों की पुरानी परिचालन प्रणालियों (विंडोज एक्सपी और पूर्ववर्ती) का जून, 2019 तक कोटि-उन्नयन करने तथा मार्च, 2019 तक स्किमिंग-रोधी समाधानों को कार्यान्वित करने का निदेश दिया है।

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश: अल्पसंख्यकों को न्यायसंगत ऋण सुनिश्चित करें

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया है कि 121 अभिज्ञात जिलों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के कुल लक्ष्यों के भीतर ऋणों का एक उचित एवं न्यायसंगत अंश प्राप्त हो। सरकार ने उन राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को छोडकर जिनमें अल्पसंख्यकों की बहुतायत है (जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्ष्यद्वीप) अल्पसंख्यकों के संकेन्द्रण वाले ऐसे 121 जिलों को सूचीबद्ध किया है। सिखों, मुस्लिमों ईसाइयों (क्रिश्चियनों), पारसियों (जोरोस्ट्रियनों), बौद्धों एवं जैनियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

बीमा

पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहन बीमा नहीं : इरडाई

उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुये भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सभी सामान्य बीमा कंपनियों को यह निदेश दिया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रणाधीन (PUC) प्रमाणपत्र के बिना किसी वाहन का बीमा न करें। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई अगस्त, 2017 में एमसी मेहता बनाम भारतीय संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में है जिसमें बीमाकर्ताओं को किसी वाहन का बीमा तब तक न करने का निदेश दिया गया है जब तक कि उनके पास पालिसी नवीकरण की तिथि को एक वैध पीयूसी प्रमाणपत्र न हो। पालिसी नवीकरण का कार्य वार्षिक आधार पर किया जाता है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री अरिजित बसु	भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक
सुश्री टी॰ लता	धनलक्ष्मी बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री विनोद येन्नेमड़ी	एसवीसी सहकारी बैंक के नए निदेशक मण्डल

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिसके साथ गठजोड़ हुआ वह संगठन	उद्देश्य
आईसीआईसीआई बैंक	आस्ट्रेलियाज वेस्टपैक बैंकिंग (वेस्टपैक)	भारतीय छत्रों द्वारा आनलाइन शुल्क भुगतान को सुगम बनाना।
बैंक आफ बड़ौदा	दक्षिण कोरिया का केबी फाइनैन्सियल ग्रुप	एक ऐसा नवोन्मेषी भुगतान व्यवसाय विकसित करना जिसमें ब्रांडयुक्त कार्डों का समावेश हो सके
एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ कोरिया (K-EXIM)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स (SBICAP)	के एक्जिम से भारतीय ऋणदाताओं को 1.5 बिलियन अमरीकी डालर तक की ऋण व्यवस्था करना।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	27 जुलाई, 2018 के दिन बिलियन रुपए	27 जुलाई, 2018 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	27,753.5	4,04,192.5
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,027.9	3,79,037.1

1.2 सोना	1,453.9	21,201.0
1.3 विशेष आहरण अधिकार	101.7	1, 479.9
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	170.0	2,474.5

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अगस्त, 2018 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	2.67500	2.87600	2.91980	2.94340	2.95420
जीबीपी	0.93450	1.1339	1.2420	1.3302	1.3999
यूरो	-0.23380	-0.140	0.038	0.193	**0.338**
जापानी येन	0.04130	0.063	0.074	0.095	0.121
कनाडाई डालर	2.27000	2.387	2.478	2.536	2.575
आस्ट्रेलियाई डालर	2.03750	2.126	2.209	2.449	2.540
स्विस फ्रैंक	-0.61000	-0.503	-0.338	-0.187	-0.049
डैनिश क्रोन	-0.11520	-0.0101	0.1509	0.3227	0.4795
न्यूजीलैंड डालर	2.03300	2.153	2.294	2.433	2.566
स्वीडिश क्रोन	-0.28000	-0.078	0.135	0.345	0.543
सिंगापुर डालर	1.76400	1.961	2.074	**2.160**	2.235
हांगकांग डालर	2.24000	2.470	2.590	2.670	2.720
म्यामार	3.72000	3.720	3.760	3.810	3.850

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

वैकल्पिक निवेश निधि (AIF)

वैकल्पिक निवेश निधियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के (वैकल्पिक निवेश निधियाँ) विनियम 2012 के विनियम 2 (1) मेँ परिभाषित किया गया है। यह किसी न्यास अथवा कंपनी या कारपोरेट निकाय या फिर सीमित देयता वाली भागीदारी (LLP) के रूप में (भारतीय या विदेशी स्रोतों से) निजी रूप से एकत्रित कोई भी निवेश निधि होती है।

अतएव, भारत में वैकल्पिक निधियाँ ऐसी निजी निधियाँ होती हैं जो अन्यथा भारत में किसी भी विनियामक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

अदला-बदली अनुपात

अदला-बदली अनुपात वह अनुपात होता है जिस पर कोई अधिग्राहक कंपनी विलयन अथवा अभिग्रहण के दौरान लक्ष्यांकित कंपनी के शेयरों के बदले में स्वयं अपने शेयर प्रस्तावित करती है।

इसकी गणना विलयित होने वाली कंपनियों की विविध आस्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन करके की जाती है। गणना किए जाने पर उक्त अनुपात में उस दर का उल्लेख होता है जिस पर लक्ष्यांकित कंपनी के शेयरधारकों को उनके द्वारा धारित लक्ष्यांकित कंपनी के प्रत्येक शेयर के लिए अधिग्राहक कंपनी के स्टाक शेयर प्राप्त होंगे।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त/सितंबर, 2018 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	24 से 26 अगस्त, 2018	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में प्रशिक्षण	23 से 25 अगस्त, 2018	मुंबई
प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	03 से 07 सितंबर, 2018	मुंबई
विधि अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	27 से 29 अगस्त, 2018	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में प्रशिक्षण	16 से 18 अगस्त, 2018	नई दिल्ली
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में प्रशिक्षण	30 अगस्त से 1 सितंबर, 2018	हैदराबाद

संस्थान समाचार

वार्षिक साधारण सभा

संस्थान की 91वीं वार्षिक साधारण सभा शनिवार, 21 जुलाई, 2018 को सायं 4.00 बजे संस्थान के कारपोरेट कार्यालय, मुंबई में आयोजित की गई।

आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान

9वां आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान 8 अगस्त, 2018 को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह मुंबई में आयोजित किया गया। उक्त व्याख्यान प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और भारत सरकार के नीति आयोग के सदस्य डा॰ बिबेक देबराय द्वारा दिया गया। इस व्याख्यान का विषय था : ''सुधार कार्यसूची'' (The Reform Agenda)

परीक्षा शुल्क वसूल करने के नियमों में परिवर्तन

संस्थान ने 1 जुलाई, 2017 से सेवा कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली अपना ली है। एसोसिएट, डिप्लोमा और मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क वसूल करने के पूर्ववर्ती नियम में यह निर्धारण था कि अभ्यर्थियों को दो प्रयासों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान एक साथ करना होगा। माल एवं सेवा शुल्क प्रावधानों का पालन करने तथा कर भुगतान प्रबंधन को सरल बनाने के लिए शुल्क वसूल करने से संबन्धित नियम को पुनर्विन्यस्त किया गया है। अब संस्थान प्रत्येक प्रयास के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अलग-अलग वसूल करेगा। अतएव, अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रयास के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।

''बैंकिंग: आगामी दशक में पदार्पण'' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

संस्थान ने 2018 में बैंकिंग उद्योग की 90 वर्षों की समर्पित सेवा पूरी कर ली है और इस अवसर का स्मरणोत्सव मनाने के लिए हम 25 सितंबर, 2018 को होटल ट्राइडेंट, बांद्रा-

कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई में "बैंकिंग: आगामी दशक में पदार्पण" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं।

बैंकों में क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों में उपयुक्त योग्यता/प्रमाणन सहित कर्मचारियों को परिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भिक तौर पर उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किया है :

- **खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड आफिस परिचालन।**
- **जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-व्यापी जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम।**
- **लेखांकन – वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य।**
- ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन।

कालांतर में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने उपयुक्त संस्थाओं एवं ऐसे पाठ्यक्रमों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था, जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार में से तीन क्षेत्रों में उक्त प्रमाणन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि **भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे** सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा।

संस्थान द्वारा खजाना परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध कराये

जाने वाले पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें
ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in.देखें।

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू॰ के॰ के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने में समर्थ होंगे।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षा के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने प्रमुख पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों नामत: प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक तथा वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जक्ष्च की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब छद्म जक्ष्च में किसी भी बैंक का कर्मचारी शामिल हो सकता है।

वीडियो व्याख्यान अब यूट्यूब पर उपलब्ध

संस्थान द्वारा जेएआईआईबी के तीन अनिवार्य प्रश्नपत्रों और सीएआईआईबी के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली वीडियो व्याख्यान की सुविधा संस्थान के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके लिए लिंक है https:/ www.youtube.com/channel/UCjfflktvEh8yLb3vwxosGow/playlists"

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

इसके पूर्व संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता था। **अब ऊपर वर्णित परीक्षाएँ प्रत्येक महीने के 1ले और 3रे शनिवारों को आयोजित की जाएंगी।** अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए निर्धारित विषय-वस्तुये निम्नानुसार हैं :
सूक्ष्म शोध आलेख 2018 : अक्तूबर - दिसंबर, 2018
पारस्परिक निधियाँ : जनवरी - मार्च, 2018
बैंकों में आचारशास्त्र और कारपोरेट अभिशासन : अप्रैल - जून, 2018
बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन : जुलाई - सितंबर, 2018

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों
और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

1. प्रकाशन स्थल	: मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता	: मासिक
3. प्रकाशक का नाम	: डा. जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4. संपाद्क का नाम	: डा. जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम : आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 005

6. स्वामियों के नाम एवं पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

मैं, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31-03-2017 डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र
प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.2
6.1
6
5.9
5.8
5.7
फरवरी, 2018, मार्च, 2018, अप्रैल, 2018, मई, 2018, जून, 2018, जुलाई, 2018
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, जुलाई, 2018

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

100
90 अमरीकी डालर
80 **जीबीपी**

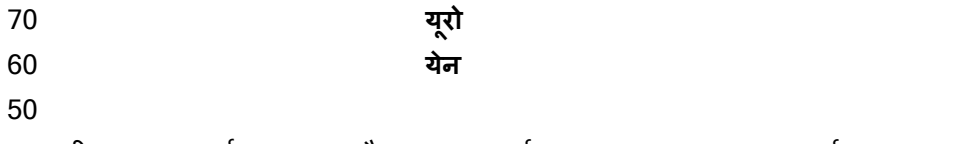

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (R B I)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

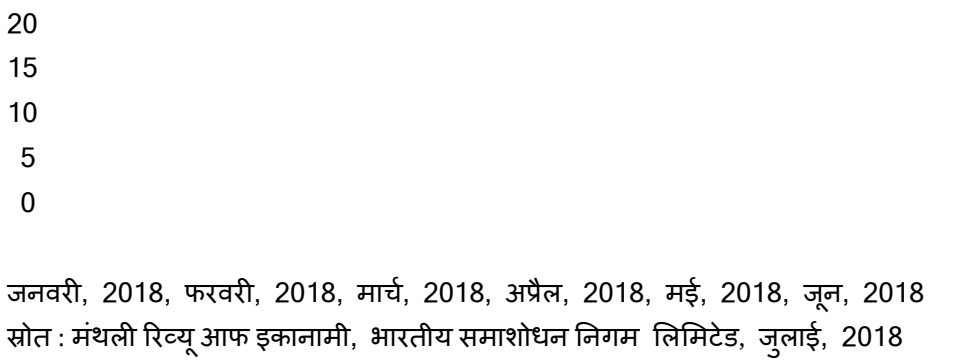

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2018

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

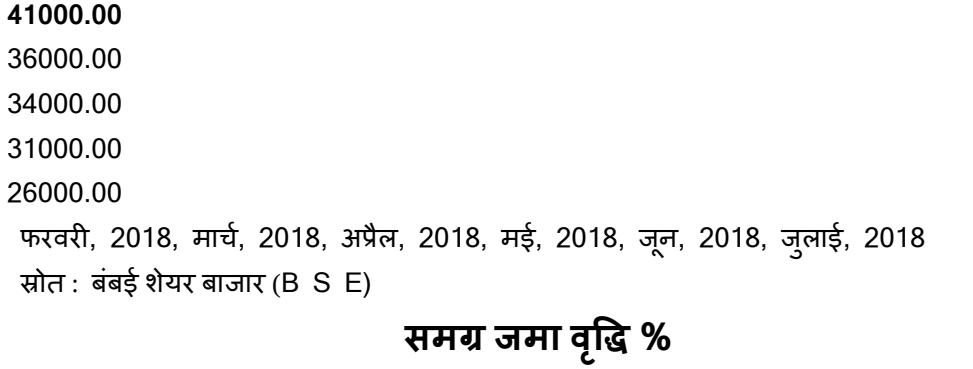

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

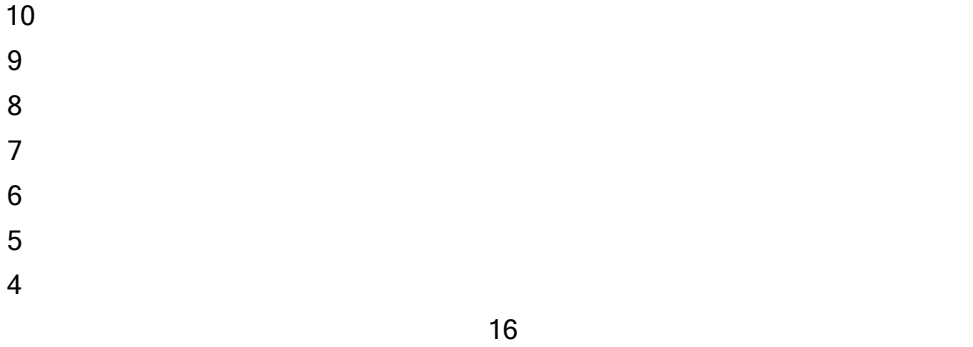

3

2

1

जनवरी, 2018, फरवरी, 2018, मार्च, 2018, अप्रैल, 2018, मई, 2018, जुलाई, 2018

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2018

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन अगस्त, 2018